

इंदौर भारत का पहला भिक्षावृत्तमुक्त शहर

स्रोत: ईटी

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की भिक्षावृत्तमुक्त भारत पहल के तहत इंदौर, मध्य प्रदेश को भारत का पहला भिक्षावृत्तमुक्त शहर घोषित किया गया है।

- यह उपलब्धि, जिसे वशिव बैंक द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई है, "भिक्षावृत्त में संलग्न व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास" (Comprehensive Rehabilitation of Persons Engaged in the Act of Begging) के तहत किये गए नरितर पुनर्वास प्रयासों का परिणाम है, जो स्माइल योजना (SMILE scheme) की एक उप-योजना है।

भिक्षावृत्तः

- भिक्षावृत्तियां भीख मांगने में विभिन्न कार्यों जैसे गाना, वस्तुएँ बेचना या वक्तवियों प्रदर्शित करके भिक्षा मांगना शामिल है।
- स्थिति: जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 4.13 लाख भिखारी हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में है। SECC 2011 के अनुसार 6.62 लाख ग्रामीण परिवार भिक्षावृत्त पर निर्भर हैं।
- संवैधानिक आधार: आहडिन अथवा वैगरेन्सी (भिक्षावृत्त सहित) समवर्ती सूची (सूची III, प्रवर्ग 15), जहाँ केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
- कोई केन्द्रीय कानून नहीं : भारत में भिक्षावृत्त पर एक समान केन्द्रीय कानून का अभाव है और बॉम्बे भिक्षावृत्त निवारण अधिनियम, 1959 के तहत एक मुख्य कानून के रूप में कार्य करता है, जो भिक्षावृत्त को अपराध बनाता है तथा भिखारियों को व्यापक रूप से परमिषित करता है।

स्माइल योजना: भिक्षावृत्त में संलग्न व्यक्तियों का पुनर्वास

- वर्ष 2022 में शुरू की गई SMILE योजना में 2 उप-योजनाएँ शामिल हैं: भिक्षावृत्त में संलग्न व्यक्तियों का पुनर्वास और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सशक्तीकरण।
 - भिक्षावृत्त उप-योजना का उद्देश्य धार्मिक, ऐतिहासिक और पर्यटन शहरों जैसे शहरी क्षेत्रों में भीख मांगने में संलग्न व्यक्तियों की पहचान करना, उनकी प्रोफाइल बनाना और उनकी सहमति से उनका पुनर्वास करना है।
 - इसका लक्ष्य वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक कम-से-कम 8,000 व्यक्तियों का पुनर्वास करना है।
- पुनर्वास रणनीति: इसमें पहचान, पहुँच और पुनर्वास के लिये स्थानीय निकायों के साथ समन्वय करना, फोटो/वीडियो दस्तावेज़ीकरण के माध्यम से सहानुभूतिपूर्ण संपर्क और प्रोफाइलिंग शामिल है।
- ज़िला प्रशासन, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह और मंदिर ट्रस्ट परामर्श, शिक्षा और पुनः एकीकरण सहायता जैसी सेवाएँ प्रदान करते हैं।

और पढ़ें: भिक्षावृत्त पर प्रतिबंध. SMILE के माध्यम से समावेशी समाज का निर्माण।